बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

पू.उ.प्र.अं./43/एसएलबीसी/सितम्बर 2016/ 98 06.03.2017

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र</u>

महोदय,

विषय :- <u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2016 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त</u>

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त सितम्बर 2016 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(राजीव श्रीवास्तव)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2016 तिमाही की दिनांक 15.12.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2016 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 15.12.2016 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (वित्त एवं संस्थागत वित्त); श्री अखिलेश कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उ.प्र. शासन; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, लखनऊ की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री बी. एस. ढ़ाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए दिनांक 17.10.2016 को अंचल प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। तत्पश्चात प्रदेश की कुछ महत्त्वपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

1. दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को एक संसदीय समीति ने प्रदेश का दौरा किया। समिति के सदस्यों ने - 3- महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं यथा Relief Measures by Banks in areas affected by Natural Calamities-RBI Directions 2016; Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Note & Implementation of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) विषयों पर बैंकर्स, उ.प्र. शासन के उच्चाधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

2. 08 नवम्बर 2016 का ऐतिहासिक दिन जब रू 1000 & रू 500 के करेंसी नोट्स के डिमोनीटाइजेशन का निर्णय भारत सरकार ने लिया, तब से लेकर अभी तक नियमित रूप से सघन गतिविधियाँ चल रही है जिसमें प्रदेश सरकार एवं बैंकर्स ने कन्धे से कन्धा मिलाकर इस चुनौती को सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास किया है। मैं यहाँ मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनके अनवरत व अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस विशाल राज्य में यह कार्य एक सौहार्दयपूर्ण वातावरण में सम्पादित किया जा रहा है। भारत सरकार की इस घोषणा के तुरंत बाद दिनांक 09.11.2016 को प्रदेश की विभिन्न एजेंसीज की एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में आयोजित कर उत्पन्न स्थिति के समाधान हेतु चर्चा की गयी। साथ ही साथ सभी बैंकर्स की एक विशेष बैठक भी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित कर रणनीति तय की गयी। ए.टी.एम. मशीनों को रिकैलिबरेट करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली करेंसी के अनवरत प्रवाह हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। बैंको के स्तर से Extend Working Hours for the branches; Utilizing the Services of Retired Bank Employees at the branches; Providing Separate Counters for the Exchange/ Payment/ Deposit, Setting up of Separate Counter for Senior Citizens/ Women/ Physically Challenged Persons; utilizing the services of Business Correspondents, Setting up of control Room for redressal of grivences इत्यादि अनेक प्रयास किये गये है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

इसी क्रम में दिनांक 22.11.2016 को प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त/ वित्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में प्रदेश में एक Special SLBC का आयोजन इसी मुद्दे पर केन्द्रित करते हुए किया गया था जिसमें संयुक्त सचिव, भारत सरकार की विशेष उपस्थिति रही एवं अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये। साथ ही साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में -571- नयी Brick & Mortar Branches (in the Villages having population of 5000 & above but still without a Branch of SCB (including RRBs) के विस्तार हेतु रोडमैप तैयार किया गया है। बैंको द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अभी तक इस रोडमैप के अंतर्गत कुल -13- नयी बैंक शाखाऐं स्थापित की गयी है। यह रोडमैप सभी बैंको की सहमति से तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों से उपरोक्त चयनित केन्द्रों मे से कुछ केन्द्रों पर बैंक शाखाऐं खोल पाने में अब बैंको द्वारा असमर्थता प्रकट की जा रही है तथा चयनित केन्द्रों के स्थानापन्न हेतु आग्रह प्राप्त हो रहे है जिस पर निर्णय हमारे स्तर से सम्भव प्रतीत नही होता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा विस्तार की धीमी प्रगति पर गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी है कि बैंकर्स द्वारा इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अपेक्षित प्रगति दर्ज की जाये। इस प्रकरण पर सदन द्वारा चर्चा हेतु मैं विशेष अनुरोध एवं अनुमति चाहूँगा।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य बैंको/ अग्रणी जनपदों को निर्धारण हेतु प्रेषित किये जा चुके है। मैं पुन: अपील करना चाहूँगा कि सभी बैंकर्स इन जनपदीय लक्ष्यों के आधार पर अपने बैंक के प्रदेश स्तरीय लक्ष्यों को तैयार कर लें जिनके सापेक्ष प्रगति समीक्षा नियमित रूप से विभिन्न एजेंसीज द्वारा की जाती है। इस क्रम में विगत 20.08.2016, 15.10.2016 एवं 29.10.2016 को संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाराणसी एवं गाजीपुर में मुद्रा एवं स्टैण्ड अप इण्डिया योजनाओं की सघन समीक्षा की गयी थी जिसमें आवश्यक प्रगति लाने हेतु बैंको को निर्देशित किया गया था।
जहाँ तक प्रदेश सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना का प्रश्न है, सहर्ष अवगत कराना चाहूँगा कि बैंकर्स द्वारा दुग्ध व कुक्कुट विकास की इन सभी योजनाओं में काफी सराहनीय कार्य किया गया है जिसको प्रदेश शासन द्वारा भी सराहा गया है।

5. वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के क्रियांवयन की दिशा में बैंकर्स द्वारा समग्र प्रयास जारी है। मनरेगा खाता धारकों के मामलें में ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वृहद अभियान चलाया गया था जिसमें Aadhaar Seeding consent forms को एकत्र किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक शाखाओं द्वारा इस अभियान में समग्र सहयोग प्रदान किया गया। परंतु प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार बड़ी संख्या में Consent Forms लम्बित रहने की जानकारी दी जा रही है। मैं पुन: अवगत कराना चाहूँगा कि Aadhaar Seeding बैंकर्स की शीर्ष प्राथमिकता है जिसमें सभी शाखाओं के साथ साथ Business Correspondents (BCs) की सेवाऐं भी ली जा रही है तथा इस कार्य हेतु उन्हें Incentivize भी किया जा रहा है। अत: Consent Forms लम्बित रहने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता।

6. दिनांक 09.10.2016 को State Financial Inclusion Committee की पहली बैठक का आयोजन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया गया जिसमें संयुक्त सचिव (वित्तीय सेवाएँ विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहभागिता की गयी। इस बैठक में वित्तीय समावेशन के विभिन्न

पहलूओं पर विस्तृत चर्चा की गयी थी। बैठक के दौरान महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. शासन ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश शासन के सहयोग का आश्वासन दोहराया।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित मानको के अनुसार बैंकर्स द्वारा सभी पात्र मामलों में Insurance Coverage की कार्यवाही किये जाने की सूचना है। इस योजना के क्रियांवयन से सम्बन्धित समय समय पर संशोधन प्राप्त हुए जिनका अनुपालन बैंकर्स द्वारा किये जाने के प्रयास किये गये है। साथ ही इस योजना की प्रगति समीक्षा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सभी बीमित (ऋणी एवं गैर ऋणी) कृषकों के बीमा से सम्बन्धित जानकारी बैंकर्स द्वारा कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड की जा रही है जिसमें कोई कोताही नही की जानी है।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से इन योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु पुन: अनुरोध किया एवं एस.एल.बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व विवरणियों के सही व ससमय प्रेषण करने की आवश्यकता बतायी।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों एवं सफलता हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है जिसमें बढोत्तरी के लिए समग्र प्रयास करना आवश्यक है।

- प्रस्तुत आंकड़ो से यह परिलक्षित होता है कि वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही में आर्थिक विकास में बढ़ोत्तरी हुई है जिसमें प्रमुख योगदान कृषि क्षेत्र एवं सरकारी योजनाओं का रहा है। द्वितीय तिमाही में जी.वी.ए. वृद्धि 7.1% रही है जो पिछली अवधि 7.3% के सापेक्ष धीमी है। जी.डी.पी. एवं जी.वी.ए. वृद्धि वर्ष के प्रथम छमाही में 7.2% आंकी गयी है। विशेषज्ञों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 7% से कम पर आने की सम्भावना है। दो वर्ष के सूखे के पश्चात होने वाली बेहतर वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र में विकास की दर प्रथम तिमाही के 1.8% के सापेक्ष 3.3% बढ़ गयी है। निर्माण क्षेत्र, जिसमें रोजगार के वृहत अवसर मौजूद हैं, में भी सितम्बर तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर्ज हुई है जो प्रथम तिमाही के 1.5% से काफी अच्छी है। यद्यपि प्राइवेट एवं पब्लिक क्षेत्र के उपक्रमों में Consumption में क्रमश: 7.6% एवं 15.6% की समर्थित वृद्धि परिलक्षित हो रही है।
- जैसा कि सर्वविदित है, विगत 08 नवम्बर 2016 का दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रू. 1000/- एवं रू. 500/- के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण घोषित किया गया और इनकी वैध टेण्डर के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गयी। इस सन्दर्भ में सरकार की सकारात्मक विचारधारा की विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में बैंकर्स के दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य वित्तीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करना ही है। हाँलाकि विमुद्रीकरण से पूर्व भी भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की शुरूआत हो चुकी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आँकड़ो के अनुसार, भारत में कुल जारी ए.टी.एम. (डेबिट कार्ड) की संख्या जो नवम्बर 2015 में 623.67 मिलियन थी वह सितम्बर 2016 में 867.35 मिलियन हो गयी। इसी प्रकार, प्रीपेड उपकरणों जैसे कि एम वैलेट या पेमेन्ट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस (PPI) कार्डस की संख्या जो नवम्बर 2015 में 62.66 मिलियन थी वो सितम्बर 2016 में 97.07 मिलियन पहुँच गयी (54.9% की वृद्धि)। सभी जन धन खातों में रूपे कार्डस जारी कर दिये गये है। इस समय हमारे पास लगभग 2. 2 लाख ए.टी.एम. मशीन और 1.30 मिलियन POS मशीन

बैंक ऑफ बड़ौदा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0

काम कर रहे है। इन्हीं के साथ भुगतान के अन्य माध्यम मोबाइल फोन आदि के माध्यम से भी भविष्य में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

- प्रदेश के मुख्य संकेतक- व्यवसाय वृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं इसके उप क्षेत्रों की स्थिति से परिलक्षित होता है कि प्रदेश की कुल जमा राशि एवं अग्रिम का स्तर क्रमश: रू. 764122.64 करोड़ एवं रू.397541.53 करोड़ हो गया है। इस प्रकार, पिछले जून 2016 तिमाही से जमा एवं अग्रिम की धनराशि में क्रमश: रू. 23786.18 करोड़ एवं रू..6440.22 करोड़ की वृद्धि इस तिमाही में दर्ज की गयी है। यद्यपि ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) में 0.80% की गिरावट दर्ज हुई है।
  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं कमजोर वर्गो को प्रदत्त अग्रिम में बकाया धनराशि क्रमश: 62.56%; 29.91% एवं 20.43% के स्तर पर पहुँच गयी है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर क्रमश: 40%, 18% एवं 10% से कहीं अधिक स्तर पर है इसके लिए सभी बैंकर्स बधाई के पात्र हैं।
  प्रदेश में, इस तिमाही में -61- नयी बैंक शाखाएँ विभिन्न बैंको द्वारा खोली गयी। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30.12.2015 के दिशा- निर्देशों के अनुसार, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) द्वारा सभी सदस्य बैंको के सहयोग से मार्च 2017 तक -571- नयी बी. एण्ड एम. शाखाएँ खोलने का रोडमैप तैयार किया गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक कुल -13- शाखाएँ खोली जा चुकी है। इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखा विस्तार की इस कम प्रगति पर गम्भीर असंतोष व्यक्त किया है।

- वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत, बैंको द्वारा प्रथम छमाही के दौरान कुल रू.72732.54 करोड़ का ऋण वितरण किया गया जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू. 168397.66 करोड़ के सापेक्ष था। इस प्रकार 43.19% की उपलब्धि हासिल की गयी है। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी सम्बद्ध के सक्रिय योगदान के लिए वे बधाई के पात्र है। मेरे विचार से विभिन्न कृषि योजनाओं की परियोजना लागत संशोधित की जानी चाहिए जिससे किसानों को वित्त पोषित करने का आसान जरिया उपलब्ध हो सके। इस प्रकार लक्ष्य समूहों को पर्याप्त वित्त पोषण करना एवं सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण करने से ही बैंको का वास्तविक योगदान परिलक्षित होगा।

- वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय पहल एवं बैंको के लिए व्यवसाय का अवसर भी है। अत: वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विभिन्न पहलूओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए इसके विभिन्न पहलूओं पर फोकस करना होगा। इसी क्रम में पी.एम.जे.डी.वाई. और विभिन्न सुरक्षा योजनाओं यथा पी.एम.जे.जे.बी.वाई.; पी.एम.एस.बी.वाई. एवं ए.पी.वाई. के अंतर्गत बैंकर्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसकी सराहना विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। इसके बावजूद रूपे कार्ड एवं उनके पिन का वितरण एवं इन कार्डस को सक्रिय करना, ओवरड्राफट सुविधा स्वीकृत करना एवं इन खाताओं में लगातार परिचालन करना, शाखाओं को बीमा क्लेम के निस्तारण की प्रक्रिया से Sensitize करना, आधार योग्य भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेनदेन एवं बैंक मित्रों का प्रशिक्षण आदि प्रमुख कार्य है जिसके अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही और तेज की जानी है। इन सभी मानकों की प्रगति की निरंतर समीक्षा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आहुत विभिन्न बैठकों में की जा रही है।

- इसी क्रम में उन्होंने सदन को अवगत कराया कि दिनांक 30.11.2016 तक पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 3.82 करोड़ खाते खुल चुके हैं जिसके सापेक्ष कुल 3.12 रूपे कार्ड (81.62%) जारी किये जा चुके है। अभी भी 0.09 करोड़ (22.63%) खाते ऐसे है जिनमें शून्य धनराशि उपलब्ध है और आधार सीडिंग वाले खाते भी केवल 1.67 करोड़ (43.81%) ही है जो एक गम्भीर चिंता का विषय है और इसके लिए हम सभी बैंकर्स को समग्र रूप से प्रयास करने होंगे। हाँलाकि इन कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा

BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO.

कैम्प लगा कर रूपे कार्ड का वितरण किया जा रहा है और इन कैम्पों में आधार सीडिंग आदि के भी कार्य सम्पादित किये जा रहे है।

- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3 दिसम्बर 2016 तक की प्रगति यह इंगित करती है कि उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान रहा है जिसके अंतर्गत अधिकतम नामांकन (4.36 लाख) हुआ है। इस प्रकार प्रदेश में वित्तीय समावेशन योजना के विभिन्न पहलूओं का वृहद स्तर पर क्रियांवयन हो रहा है।

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के.सी.सी.) के अंतर्गत द्वितीय तिमाही तक बैंको द्वारा प्रदत्त लक्ष्य 35 लाख के सापेक्ष लगभग 29.55 लाख किसानों के के.सी.सी. का नवीनीकरण एवं नये कार्ड जारी किये गये।
  वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। प्रदेश में इसके आच्छादन हेतु AIC और ICICI Lombard General Insurance Co. को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में इस नयी योजना के क्रियांवयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय कार्यवाही की जा रही है।

- प्रदेश में सितम्बर 2016 त्रैमास का ऋण जमा अनुपात 52.03% के स्तर पर दर्ज किया गया है जो जून 2016 के स्तर 52.83% से 0.80% कम हो गया है। इस अनुपात में आयी गिरावट के मुख्य कारण है - प्रदेश के कुछ हिस्सों में आयी बाढ़ एवं सूखे का प्रभाव तथा ऋणी ग्राहकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि की सीमा का सम्पूर्ण प्रयोग न करना। वर्तमान में समय की माँग है कि ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के लिए पुख्ता प्रयास करने होंगे जिसमें प्रदेश शासन व बैंकर्स को मिल जुल कर प्रयास करना आवश्यक है।

- पीएमएमवाई/स्टैंण्ड अप इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इन फ्लैगशिप योजनाओं की गहन समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू 10313.70 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित हुआ है जिसके सापेक्ष उपलब्धि मात्र रू 3586.60 करोड़ (34.34%) के निम्न स्तर पर रही है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी क्रम उन्होंने में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार चलाये गये विशेष अभियान का भी उल्लेख किया जिसके अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में -200- से अधिक कैम्प लगाये गये जिसके अंतर्गत जनता के लिए वित्तीय जागरूकता का कार्य किया गया।
  माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 05.04.2016 को "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया जिसके अंतर्गत एससी /एसटी एवं महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड परियोजना हेतु रू 10 लाख से रू.1 करोड़ तक के वित्त पोषण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी मिल कर प्रयास करें।

- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत बैंक देयों की समग्र वसूली का स्तर क्रमश: 63.85% एवं 63.06% रहा है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के स्तर से थोड़ा भिन्न है (पिछला स्तर 63.70% एवं 64.93% क्रमश:) प्रदेश में लगभग -815587- आर सी सितम्बर 2016 की अवधि में लम्बित रहे जिसकी धनराशि रू 5028.31 करोड़ की है। सितम्बर 2016 की अवधि में वसूली का स्तर रू 281.72 करोड़ रहा। इस कार्य हेतु प्रदेश शासन से जिलाधिकारियों को उनके जनपदों के शीर्ष -50- आर सी खातों में वसूली हेतु पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है जिसे और सघन रूप से लागू कराने की आवश्यकता है।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री मयंक के. मेहता, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए बैंकर्स का आहवान किया कि वे प्रदेश शासन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करें।

श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय (आई.ए.एस.), प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला -

- विमुद्रीकरण के इस दौर में उन्होंने बैंकर्स द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी प्रशंसा की एवं आगे आने वाले समय में उन्होंने प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक करेंसी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया।
- उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में POS मशीन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी बल दिया।
- असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले खातों में परिचालन का स्तर बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि यह माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता प्राप्त योजना है। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात का स्तर अभी भी काफी कम है जिसे कम से कम 60% के स्तर तक करने के प्रयास करने होंगे।
- आज के दौर में Digitization पर ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रदेश में बहुत से ऐसे विभाग है जहाँ पर नकदी का प्रवाह अधिक होता है। उन विभागों मे अधिक से अधिक cashless transactions करने का प्रयास करना होगा।
- इसी के साथ - साथ आधार सीडिंग पर भी फोकस करना होगा। अभी भी हमारा प्रदेश केवल 44% के स्तर पर ही है जबकि अन्य प्रदेशों में आधार सीडिंग का प्रतिशत काफी अधिक है अत: सभी को इसे बढ़ाने हेतु प्रयास करना होगा।
- सरकार प्रायोजित कई योजनाओं में प्रदेश की प्रगति निम्न स्तर पर है अत: सभी बैंकर्स एवं समस्त सम्बद्ध संस्थाओं को मिलजुलकर प्रयास करना होगा तभी प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- देश में विमुद्रीकरण की घोषणा के पश्चात आम- जन को होने वाली परेशानियों के निराकरण हेतु सभी बैंकर्स के सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।
- प्रदेश में शाखा विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार तैयार रोडमैप के आधार पर -571- बैंक शाखाएँ खोलने के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक केवल -13- बैंक शाखाएँ ही खोली गयी है। अत: समस्त बैंक प्रमुखों को बैंक शाखाएँ खोलने हेतु समग्र प्रयास करने होंगे, तभी यह लक्ष्य पूरा हो पायेगा।
- वर्तमान परिवेश में जब सभी बैंकिंग लेनदेन Digitize होने जा रहे है और अधिकतम लेन देन जब RTGS व NEFT के माध्यम से होंगे तो बैंकिंग शाखाओं की महत्ता और भी बढ़ जाती है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कोई भी ब्रिक एवं मोर्टार शाखा नहीं है उस क्षेत्र में बैंकिंग शाखा खोलने की अति आवश्यकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी Digitization का प्रयोग हो सके। इसके लिए सभी बैंको के प्रमुख, एस.एल.बी.सी. एवं प्रदेश शासन के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास करें।
- वास्तव में वित्तीय समावेशन के साथ - साथ Digitization Inclusion का कार्य भी महत्त्वपूर्ण है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम जनता को ऑनलाइन बैंकिंग के बारें में जागरूक किया जाना आवश्यक हैं।
- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के बारे में प्रदेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस क्षेत्र में वित्त पोषण करने से ऋण निश्चित ही बढ़ेगा। उन्होंने सभी बैंकर्स का आह्वान करते हुए सदन को अवगत कराया कि इस क्षेत्र में प्रगति के आँकड़े कम है परंतु योजनाबद्ध तरीके से काम करके इस क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।
- करेंसी चेस्ट एवं आर.बी.आई. की गतिविधियों की सूचना साझा करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। बैंकर्स विमुद्रीकरण के दौरान सभी जानकारियाँ एवं सभी भेजे जाने

वाली व प्राप्त होने वाली धनराशियों का पूरा रिकार्ड अद्यतन करते रहें। बैंको में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे व अन्य उपकरण पूरी तरह से कार्य करते रहने की दशा में हो।

एक बार पुन: बैंकर्स के योगदान हेतु उन्हें बधाई देते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने सदन को बताया कि करेंसी की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु व्यवस्था की जा रही है तथा जल्दी इस समस्या से छुटकारा मिल जायेगा।

श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व को- ऑपरेटिव बैंको की Ground Level Credit Flow की तुलना करने पर यह संज्ञान में आया है कि नवम्बर 2015 व नवम्बर 2016 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में ऋण वितरण लगभग रू.335/- करोड़ व को - ऑपरेटिव बैंको का रू. 136/- करोड़ रहा है जो एक माह मे ही हुआ है। विमुद्रीकरण के इस दौर में को- ऑपरेटिव बैंको को नये नोट अभी नहीं मिल पा रहे है। इस प्रक्रिया में कुछ सुधार होने के संकेत मिलने लगे है।
- POS मशीन की उपलब्धता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नाबार्ड ने इसके लिए आवश्यक पहल किया है जिससे लगभग 56 वाणिज्यिक बैंको से इसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है जो "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है जो Tier 5 व Tier 6 वाले क्षेत्रों में दिया जायेगा। इस हेतु इच्छुक बैंक अपने Indent Nabard को प्रेषित कर दें।
- इसी क्रम में NPCI के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग का जिक्र करते हुए बताया कि POS मशीन पर होने वाले लेन देन की निगरानी एवं उसकी कार्य पद्धति के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।
- एफएलसीसी काउंसलर जो को- ऑपरेटिव बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको एवं अन्य पंजीकृत एन.जी.ओ. के साथ कार्य कर रहे है उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कार्यक्षेत्रों में ग्रामीणों को Digitization के बारे में प्रशिक्षित कर सकें। इस हेतु Digital Financial Literacy Awareness Program पूरे प्रदेश में चलाया जायेगा।
- इसी क्रम में उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सभी 26 लाख के.सी.सी. धारको को रूपे किसान कार्ड जारी करने हेतु आह्वान किया। इसे जारी करने के लिए जो व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा की जायेगी।
- इसी क्रम में उन्होंने Agri Marketing Infrastructure कार्यक्रम की चर्चा भी की जिसे 31.01.2017 तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभ्यार्थियों को सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।
- ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या है उन क्षेत्रों में Solar Pannel की व्यवस्था हेतु सभी बैंको को वित्त पोषण करने के निर्देश जारी कर दिये गये है और इसके लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने पुन: कृषकों के हितों के लिए नाबार्ड द्वारा हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी -

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू0उ0प्र0), लखनऊ

<u>कार्यसूची संख्या - 1</u>

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 20.09.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :</u>

विगत बैठक दिनांक 20.09.2016 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 02.12.2016 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

<u>कार्यसूची संख्या - 2</u>

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 20.09.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट</u>

1. **<u>प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर - सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :</u>**

सदन को विषयक स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि भूमि आवंटन हेतु सम्बद्ध बैंको एवं एस.एल.बी.सी. की उप समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सदन को इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि हापुड़, शामली और सम्भल में नयी आर-सेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित बैंको एवं ग्रामीण विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार के साथ प्रकरण को लिया गया है तथा वहाँ से निर्णय प्रतीक्षित है। यह भी अवगत कराया गया कि बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु नोडल एजेंसी द्वारा क्लेम सेटलमेंट की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

2. **<u>प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :</u>**

सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले सभी पात्र खातों में जारी रूपे कार्ड के वितरण हेतु सभी बैंको द्वारा कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कार्ड वितरण हेतु कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। विमुद्रीकरण के पूर्व से ही इस कार्य हेतु विशेष अभियान अनवरत रूप से चलाया जा रहा है। इन कैम्प्स में बी.सी. की सहायता से रूपे कार्डस के वितरण व सक्रियकरण के साथ - साथ मनरेगा लाभार्थियों व सिविल पेंशनर्स के खातों में आधार सीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है जिसके लिए बी.सी, को Incentivize भी किया जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों के खातों में आधार सीडिंग करने हेतु सम्बद्ध विभाग से बैंको को कंसेण्ट फार्मस उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

3. **<u>5000 एवं अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी बैंक शाखा नहीं है, वहाँ बैंको द्बारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने हेतु रोडमैप:</u>**

सदन में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी। बैंको के स्तर से इस सन्दर्भ में कोई विशेष प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यंत गम्भीरता से लिया है। अत: सभी -31- सम्बद्ध बैंको से अनुरोध दोहराया गया कि वे चिन्हित केन्द्रों पर बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे तय समय सीमा के अंतर्गत बैंक शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सके।

4. **<u>2000 से कम जनसंख्या वाले सभी -76855- गाँवों में संतृप्तीकरण कार्य सम्पन्न होना:</u>**

सदन में उपस्थित समस्त सम्बद्ध बैंको से अनुरोध किया गया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करें।

कार्यसूची संख्या - 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। प्रदेश के समस्त -75- जनपदों को 100% संतृप्त घोषित कर दिया गया है। दिनांक 30.11.2016 तक लगभग 3.82 करोड़ नये बैंक खाते खोले गये हैं और लगभग 3.11 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में जारी किये गये है।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (Business Correspondents) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में लगभग 15.03% बैंक मित्र निष्क्रिय है जिनके स्थान पर नये बैंक मित्रों की नियुक्ति की जानी है जिससे दूरस्थ गाँवों में बैंकिंग एवं डी.बी.टी. सुविधा प्रदान की जा सके। सभी सक्रिय बी.सी. को AEPS मशीन भी उपलब्ध करायी जा रही है।

ख) सुरक्षा योजनाओं का क्रियांवयन -

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" एवं एक पेंशन योजना "अटल पेंशन योजना" के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा सभी लम्बित क्लेम्स का त्वरित निस्तारण करने हेतु सम्बद्ध बीमा कम्पनियों से अनुरोध किया गया। इसी क्रम में "अटल पेंशन योजना" की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया तथा उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च स्थान पर रहने पर सदन द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

ग) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -

सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के विद्यार्थियों के मध्य वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता का प्रसार करने हेतु भारतीय बैंक संघ ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कम से कम -1- स्कूल को गोद लेना है और उस विद्यालय के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है।

सदन के समक्ष इस कार्यक्रम की समेकित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

घ) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. द्वारा कौशल विकास केन्द्रों को -75- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (जो अग्रणी जिलों में कार्यरत है) के साथ मैप कर कार्य योजना तैयार की गयी है। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये है। इस कार्यक्रम का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको/कोऑपरेटिव बैंको द्वारा संचालित एफ.एल.सी.सी. केंन्द्रों के साथ भी किया गया है।

च) जन- धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में बैंको द्वारा कुल -100- विद्यालयों को अंगीकृत कर वित्तीय साक्षरता से उन स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक करना है। अभी तक समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में कुल -7814- स्कूलो को अंगीकृत कर कुल -5123- प्रशिक्षण सेशन में कुल -211161- प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र०अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE), LKO.

छ) <u>केन्द्रीय सिविल पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग:</u>

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंको में कैम्प लगाकर उनके पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाये। विगत दिनों, कुछ जनपदों में इसका निरीक्षण पेंशन व सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया और उनके द्वारा इस कार्य की प्रशंसा भी की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि बैंको द्वारा अभी तक लगभग 87.44% पेंशनर के खातों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

ज) <u>वित्तीय समावेशन के अन्य मुद्दे:</u>

वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों की गहन समीक्षा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर की जा रही है। इस सम्बन्ध में मीटिंग्स, विडियो कांफ्रेंस आदि के माध्यम से समीक्षा बैठक की जाती है जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है। इन चर्चा के दौरान निम्न प्रमुख बिन्दु उभर कर सामने आये है:

- सभी खाता धारको को रूपे कार्डस व पिन की उपलब्धता प्रदान करना और उन्हें सक्रिय करना।
- शून्य धन राशि वाले सभी खातों मे धनराशि जमा करवाना।
- समस्त बीमा उत्पाद एवं पेंशन उत्पाद योजनाओं की विशेषता के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा किया जाना एवं क्लेम्स का त्वरित निस्तारण किया जाना।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में "राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति" का गठन किया जा चुका है और इसकी प्रथम बैठक भी सम्पन्न हो चुकी है।
- विगत अवधि में वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के क्रियांवयन हेतु प्रदेश में विशेष अभियान चलाया गया जिसमें -200- से अधिक कैम्प आयोजित किये गये। इन कार्यों के क्रियांवयन हेतु बी.सी. की सेवाएँ ली जा रही है तथा पी.एम.जे.डी.वाई. खातों एवं अन्य खातों जैसे केन्द्रीय सिविल पेंशनर्स व मनरेगा श्रमिकों के खातों में प्राथमिकता के आधार पर आधार सीडिंग का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या - 4
(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन)

बुनकर सेक्टर के Revival , Reforms & Restructuring करने हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से संशोधित दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है जो सभी सम्बद्ध को प्रेषित कर दिये गये है। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये हैं जिनके अंतर्गत कार्यशील -14140- हथकरघा बुनकरों को -12- चिन्हित बैंको के सहयोग से वित्त पोषण किया जा रहा है। इस सेक्टर के वित्त पोषित खातों को मुद्रा योजना के अंतर्गत भी शामिल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति सिंडीकेट बैंक के समंवयन मे गठित है जिसकी नियमित बैठके आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जाती है। वर्तमान में "प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर विकास योजना" के रूप में रूपांतरित योजना का क्रियांवयन देश के साथ साथ प्रदेश में भी नोडल एजेंसी हथकरघा निदेशालय के निर्देशन में किया जा रहा है जिसके दिशा निर्देश समस्त बैंको को प्रेषित कर दिये गये है।

कार्यसूची संख्या - 5
(वार्षिक ऋण योजना 2016-17 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत सितम्बर' 2016 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का

BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE), LKO. अंचल कार्यालय लखनऊ

प्रतिशत 43.19% रहा है। सेक्टरवार कृषि - 43.28%; लघु उद्यम- 58.18% एवं सेवा क्षेत्र- 26.66% की उपलब्धि रही है।

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि में समग्र रूप से ऋण वितरण का प्रतिशत विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 9771.32 करोड़ (15.52%) अधिक हुआ है।

कृषि क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भी वितरण का प्रतिशत समग्र रूप से विगत अवधि के प्रतिशत से बढ़ा है। इसी क्रम में वाणिज्यिक बैंको जिसमें प्राइवेट क्षेत्र के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व को- ऑपरेटिव बैंको की उपलब्धियाँ सदन में प्रस्तुत की गयी जो लक्ष्य के सापेक्ष क्रमश: 45.63%; 37.67% एवं 38.74% रहीं।

चर्चा के दौरान समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे अग्रणी जिलों से सम्बन्धित समस्त आँकड़ो के समेकन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप LBS MIS I, II & III का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें ताकि एस.एल.बी.सी. द्वारा समेकित आंकड़ो का ससमय प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके। उल्लेखनीय है कि इन विवरणियों के समय से प्रेषण न होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोष व्यक्त किया गया है।

कार्यसूची संख्या - 6
(ऋण जमा अनुपात)

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने हेतु कार्य करने पर विचार किया गया। बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सितम्बर 2015 के सापेक्ष सितम्बर 2016 में ऋण जमा अनुपात में 1.74% का ह्वास परिलक्षित हुआ है। इसी क्रम में -14- ऐसे जिले जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, में भी इसे बढ़ाने पर चर्चा की गयी।

सदन में इस बात पर चर्चा की गयी कि अनेक ऐसी इकाइयाँ जिनकी स्थापना प्रदेश में विभिन्न जिलों में है परंतु उनका ऋण स्वीकृति/ वितरण अन्य प्रदेशों में स्थित बैंको द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में ऋण जमा अनुपात की गणना करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुपालन हेतु चर्चा की गयी।

यह अवगत कराया गया यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित की गयी है जो इस योजना की समीक्षा त्रैमासिक बैठकों मे कर रही है। इस उप समिति की बैठकों मे समस्त सदस्यों की सहभागिता हेतु अनुरोध किया गया ताकि बैठकों में सार्थक चर्चा एवं निर्णयों पर कार्यवाही की जा सके।

कार्यसूची संख्या - 7
(पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजनांतर्गत प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। इन जनपदों में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गठित एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठकों में सघन/विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या - 8
(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदेश में कुल 35 लाख

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र०

के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही तक कुल 29.55 लाख किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें कुल 20.67 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्डस का नवीनीकरण तथा कुल 8.88 लाख नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत किसानों का व्यक्तिगत बीमा एवं उनको दिये गये ऋण का बीमा भी किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी नयी "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" की विशेषताओं एवं नये दिशा निर्देशों से भी सदन को अवगत कराया गया। इसी क्रम में सदन को यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों के खाते से काटे गये प्रीमियम धनराशि की रसीद सम्बद्ध बैंको द्वारा ऋणी कृषकों को देने की व्यवस्था शीघ्र की जायें। रबी फसल हेतु इस प्रीमियम धनराशि की कटौती की अंतिम तिथि 31.12.2016 निर्धारित की गयी है। अत: इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिया जाये। साथ ही साथ बीमित कृषकों का सम्पूर्ण विवरण मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कर ली जाये एवं इसको निश्चित समयावधि पर अद्यतन भी किया जाये। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि बैंको में क्लेम्स की धनराशि प्रेषित की गयी है उसे अविलम्ब बीमित एवं सम्बद्ध कृषकों के बैंक खातों में समायोजित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।

कार्यसूची संख्या - 9
(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। सदन में भारत सरकार की "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा की गयी।

इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसकी प्रगति में सुधार लाने हेतु सघन प्रयास किये जाने का आह्वान किया गया।

चर्चा के दौरान, संस्थागत वित्त महानिदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा रू 10.00 लाख से कम के ऋण पर बैंको द्वारा Collateral Security माँगे जाने विषयक बिन्दु पर ध्यानाकर्षण किया। इस बिन्दु पर अपने विचार प्रकट करते हुए कार्यकारी निदेशक महोदय ने उपस्थित सभी बैंको से इस दिशा में विचार करने का आह्वान किया।

सदन में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की प्रगति भी प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या - 10
(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। नाबार्ड द्वारा संयुक्त देयता समूहों हेतु -30000- लाभार्थियों का लक्ष्य प्रदान किया गया है। प्रदेश शासन द्वारा Tenant Farmers & Oral Leasee को Loan eligibility Cards जारी करने हेतु आवश्यक योजना तैयार करने पर विचार हेतु अनुरोध भी किया गया।

कार्यसूची संख्या - 11
(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० आंचलिक कार्यालय ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE) LKO. (पू०उ०प्र० अंचल), लखनऊ

सदन में योजनांतर्गत प्रगति प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सुधार हुआ है।

चर्चा के दौरान क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ऋण माफी की भ्रामक सूचना फैलाने के बारें में बताते हुए अवगत कराया कि ऐसी कोई योजना वर्तमान में नही हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भी ऋण वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली हेतु सम्बद्ध जिलों के जिलाधिकारियों को वसूली में बैंकर्स को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि वसूली प्रमाण पत्र वसूली खातों का विवरण अब ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा किया जा सकेगा।

कार्यसूची संख्या - 12
(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 21.99% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक से कहीं अधिक है।

कार्यसूची संख्या - 13
(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। नाबार्ड के महाप्रबन्धक श्री ए. के. सिंह द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के गाँवों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विमुद्रीकरण की वजह से धनराशि आहरण में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा हैं। बैंको द्वारा उन्हें सहयोग करने का अनुरोध किया गया। साथ ही साथ, स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेह व क्रेडिट लिंकेज में भी सहयोग करने का अनुरोध दोहराया गया। साथ ही साथ प्रदेश के चयनित -8- जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी।

इसी क्रम में सदन को यह बताया गया कि स्वयं सहायता समूह की समीक्षा हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी निरंतर बैठक नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा होती है।

कार्यसूची संख्या - 14
(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)
"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है इसकी प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी। इस क्रम में नोडल विभाग द्वारा बैंको को प्रेषित एवं स्वीकृत तथा वितरित आवेदन पत्रों की स्थिति प्रस्तुत की गयी एवं उन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO.

"आर- सेटी की स्थापना"

प्रदेश के -75- जिलों में बैंको द्वारा आर- सेटी के स्थापना की गयी है जिसमें -4- आर सेटी संस्थान विभिन्न बैंको द्वारा उनके नॉन लीड जनपद में खोले गये है। एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति पंजाब नेशनल बैंक की संयोजकता में गठित है जिसकी नियमित बैठक की जा रही है और जिसमें योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - एन.यू.एल.एम."

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के बैंकवार व जनपदवार लक्ष्य समस्त बैंको को प्रेषित कर दिये गये है और इस योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। बैंको से लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध भी किया गया ताकि आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी - 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। योजना के परिचालन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से जो संशोधन किये गये है, वे समस्त सम्बद्ध को एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रेषित कर किये गये है एवं एजेंसीवार लक्ष्यों से भी अवगत करा दिया गया है। नोडल ऐजेंसी के प्रतिनिधि ने सदन को योजना की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि योजनांतर्गत प्रगति नगण्य है जिसमें वांछित स्तर तक सुधार लाने हेतु बैंको को अथक प्रयास करना होगा। इसी क्रम मे सदन को अवगत कराया गया कि इस योजना के आवेदन पत्र अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड किये जाने है जिसे बैंको द्वारा विधिवत रूप से किया जा रहा है।

"समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना"

उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक अत्यंत महत्वाकान्क्षी योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को उनके अनुभव के अनुरूप स्वरोजगार हेतु बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसमें 70% स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष ऋण वितरण 28% मामलों में किया गया है। समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया कि इस योजनांतर्गत वांछित प्रगति प्राप्त करने हेतु सघन प्रयास किये जायें।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल -14087- आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कुल -3157- वितरण किया गया जो प्राप्त -52768- आवेदन पत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष हुए है। अग्रिम प्रगति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से बैंको द्वारा पात्र व्यक्तियों को रोजगारपरक योजनाओं हेतु वित्त पोषण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत किसी विशेष उत्पादक उद्यम को जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें अपने उद्यम प्रारम्भ करने हेतु बैंको के माध्यम से वित्त पोषण कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मामलों में ब्याज उपादान राशि प्राप्त करने हेतु बैंको से पुन: अनुरोध किया गया। बैंकर्स

सभी लम्बित दावे सम्बन्धित विभाग को तुरंत प्रेषित करें जिससे उनकी धनराशि प्राप्त हो सके। नोडल विभाग द्वारा इस मामले में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार द्वारा भी की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और लक्ष्यों की पूर्ति भी हो गयी है। परंतु माइक्रो कामधेनु योजनांतर्गत लक्ष्य अभी भी पूरे नहीं हुए है जिसे 31.12.2016 तक पूरा करने हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया। इसी क्रम में कुक्कुट विकास योजना के अंतर्गत भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु विशेष कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया एवं स्वीकृत योजनाओं में ऋण वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या - 15
(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र -

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने इन केन्द्रों की स्थापना एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु विभाग की एग्रीजंक्शन योजना का उल्लेख किया एवं इस सम्बन्ध में प्रगति से सदन को अवगत कराते हुए समस्त सम्बद्ध से योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनुरोध किया।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट - सब्सिडी योजना -

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या - 16
(शैक्षिक ऋण)

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत प्रदेशवार लक्ष्यों की सूचना समस्त बैंको को प्रेषित की गयी है। साथ ही योजनांतर्गत त्रैमासांत सितम्बर 2016 तक की प्रगति से भी सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 17
(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाऐं)

चर्चा के दौरान सदन को बताया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान बैंको के विरूद्ध कोई भी अपराधिक घटना रिपोर्ट नहीं की गयी है।

कार्यसूची संख्या - 18
(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

सदन में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण वसूली हेतु एवं वसूली प्रमाण पत्र जारी खातों में सहयोग देने हेतु प्रदेश प्रशासन से सहयोग प्रदान करने कर विस्तृत चर्चा की गयी। इस सन्दर्भ में राज्य

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE), LKO.

सरकार के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि सरफेसी एक्ट, 2002 के वादों में सम्बद्ध जिलाधिकारियों को बैंकर्स को समग्र सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस को भी बैंकर्स द्वारा FIR लिखवाने में सहयोग प्रदान करने हेतु भी आवश्यक पत्र प्रेषित किया गया है।

सिडबी के प्रतिनिधि ने सदन में "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की प्रगति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए समस्त सम्बद्ध से इस योजना के लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा की गयी। इस योजना के विभिन्न पहलूओं से सदन को अवगत कराते हुए श्री आर.के. श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक हुडको, लखनऊ ने बताया कि इस योजना को व्यापार का सुअवसर मानते हुए आवश्यक प्रयास किये जाये एवं भविष्य में इसे एस.एल.बी.सी. के एजेण्डा में शामिल किया जाये। इसी क्रम में बताया गया कि शासन स्तर पर इस योजना के विभिन्न मानदण्डों की समीक्षा की जा रही है।

अंत में श्री ए. के. सिंह, उप महाप्रबन्धक एवं उप अंचल प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, लखनऊ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.U.P.ZONE) LKO. अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र० अंचल) लखनऊ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 के कार्यबिन्दु

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land by the State Govt. to the Banks and setting up of R-SETIs in -3- remaining Districts of the State.	All Lead Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings/own buildings in the State. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -73- Districts so far. In -2- Districts viz. Ghaziabad and Agra, RUDSETIs are already functional. However, in some of the districts where the land was identified/ allotted earlier, certain issues have cropped up subsequently due to which the physical possession, execution of MoU & lease deed and inturn construction of the building etc. could not commence. The district wise issues are being discussed on quarterly basis in the Sub- Committee Meetings under the Convenorship of Punjab National Bank. The detailed position also stands communicated to the Nodal Agency- UPSRLM & SPC, MoRD, GoI for their necessary action & resolution of the issues concerned. Further, MoRD, Govt. of India has issued specific guidelines regarding release of Grant in Aid. In view of the above mentioned facts, it becomes necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made to be eligible for receipt of funds/grant from GoI after allotment of land by the State Govt. -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts viz. Punjab National Bank (Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur). It is informed by PNB & Syndicate Banks that necessary approval in this regard is yet to be received from MoRD, GoI, in spite of the regular followup.	As discussed during the Meetings, the State Govt. is requested to speed up the process for clearance of land allotment in all the Districts where certain issues are reported by the concerned banks and which require the State Govt. intervention. In view of the guidelines issued by MoRD, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made for receipt of grant from GoI. All the Lead Banks are also requested to ensure that necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that RSETIs may start functioning in their own buildings. Both the Lead Banks i.e. PNB & Syndicate Bank are once again requested to follow up the matter with MoRD, GoI for setting up of RSETIs in their selected left out Districts. The State Govt. intervention with MoRD in this regard is also requested to yield the desired results at the earliest. (Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & all Lead Banks)
2.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	Under the PMJDY, the Banks in the State opened large number of Bank Accounts which have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of cards and inturn their activation could not happen in all accounts for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Govt. has initiated various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Correspondents etc. The Banks have taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results.	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. Further, the Nodal Agency – MNREGA Cell, Department of Rural Development, GoUP is requested to provide the Districtwise/Bankwise details of the pending consent forms in respect of all Districts of the State as reported by them. (Action: All Banks)

		In tune with the drive launched by State Govt. for collecting the consent forms of MNREGA Workers for aadhar seeding with their Bank Accounts, the consent forms made available to the Branches/mobilized by the Branches have been utilized for adhaar seeding of the concerned MNREGA beneficiaries. Of late, the State Govt. and the Ministry of Finance, Govt. of India has reported pendency of large number of consent forms lying pending with the Bank Branches for their seeding with the Bank Accounts. In this regard, a few Meetings of Bankers have taken place with the Officials of MNREGA Cell, Department of Rural Development, Govt. of UP and SLBC is also requesting the Nodal Agency to provide the details of all such reported pending consent forms (districtwise/Bankwise). However, the desired information in respect of all but -17- Districts of the State is not being made available by the Nodal Agency so far. In view of the fact that Aadhar seeding is being attached top most priority by the Banks for which all out efforts are being made by them including incentivization of Business Correspondents (BCs), pendency of consent forms in large number does not sound good.	
3.	**Opening of Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap.**	**In tune with, RBI's instruction vide letter no. FIDD.Co.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centres have been identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in concultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016 with a request to complete this exercise within the set timeline of March 2017.** **The issue is being discussed at various forums on regular basis & SLBC is regularly communicating with Banks for necessary action.** **During the SLBC Meeting, the progress of opening -11- branches till September 2016 has not been appreciated by the House and it is desired that a thorugh review should be made in this regard.**	**RBI has expressed their concern & displeasure over no marked improvement in this regard as only -38- Bank Branches are reported to have been opened by January 2017. All -31- Banks who have been allocated their share for opening of Branches are requested to initiate urgent suitable action so that the targets are achieved with in the set timelines.** **(Action: All -31- Banks)**

4	**Status of Bank Mitras (Business Correspondents)**	**In order to cover all -27628- SSAs in the State, a requirement of -21175- Bank Mitras (Business Correspondents) was assessed by the Banks and accordingly the BCs were also put in place by the Banks.** **The performance of BCs has been reviewed by the DFS, MoF, GoI and it is reported that as on 25.11.2016, the total number of Active BCs is -18061- (84.97%) of the total requirement.** **It is pertinent to mention that for 100% coverage of SSAs, each SSA is either covered by Bank Branch or by an active BC so that none of the SSA is deprived of financial services.** **It is therefore requested that all member banks should endeavour to replace the inactive BCs either by engaging new BCs or to motivate the existing ones to reactivate them at the earliest.**	**Looking to the seriousness of the matter pertaining to inactive/defunct BCs, the concerned Banks are required to initiate suitable necessary action in this regard. Some of the suggestive required actions are as under:** **- To speak to inactive/defunct Bcs over mobile or in person to ascertain whether they want to continue to work as BC or not, and what is the reason of inactiveness.** **- If for any challenge/difficulties faced by them to become inactive, Bank to examine the challenges and come out with some concrete solution to make them active.** **- If it is found that the existing BCs is no more interest to continue, then all such BCs should be replaced with new BCs.** **- Bank to ensure that all their BCs are equipped with AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) and PIN Pad / Micro ATM which allow online interoperable financial inclusion transactions.** **(Action: All Banks)**
5.	**Submission of LBS MIS, I, II & III statements by the Banks**	**The Reserve Bank of India has issued guidelines vide Master Circular- RBI/2016-17/02 FIDD.CO.LBS.BC.No.5/02.01.001/2016-17 dated 01.07.2016 for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III under the Lead Bank Scheme. The position of disbursement, outstanding and recovery is monitored by various authorities on the basis of Bank-wise data. However, it is experienced that the periodical data is not submitted to the SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in submission of the consolidated information to RBI in respect of various Banks in the State.** **In view of the statutory requirement and the importance of this data base, the Banks are required to invariably submit the periodical information on prescribed proforma as per prescribed time schedule to the SLBC.** **Incidentally, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for necessary action and resolution.**	**In view of the fact that the desired outcome is not yet forthcoming and Reserve Bank of India has viewed it seriously, the Banks are requested for suitable necessary action in this regard in tune with extant guidelines of Reserve Bank of India.** **(Action: All Banks)**

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 15.12.2016

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details: Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Mayank K Mehta		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607	zm.upu@bankofbaroda.com
3				General Manager, BCC	Shri G B Bhuiyan		
4	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
5				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328	skverma1@rbi.org.in
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri A K Panda		
7				General Manager	Shri A K Singh	9819418150	lucknow@nabard.org
8	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	General Manager	Shri Shreekant	9437165853	Shreekanth@sbi.co.in
9				Dy. General Manager	Shri R N Dixit	9599935515	dgmoutreach.lholuc@sbi.co.in
10				Asstt. General Manager	Shri S L Srivastava	9984876555	agmlb.lholuc@sbi.co.in
11				Asstt. General Manager	Shri Hari Om Agarwal	9892133889	agmlb.lholuc@sbi.co.in
12	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Dinesh Kumar	9417003921	fgmo.luc@allahabadbank.in
13				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	fgmo.luc-slbc@allahabadbank.in
14	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Dy. Zonal Head	Shri R K Bains	9589391316	fgmo.lucknow@unionbankofindia.com
15				Senior Manager	Shri Motilal	9918702102	
16	Syndicate Bank	Field General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri R. Chandrasekaran	8005493994	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
17				Senior Manager	Shri Vijay Srivastava	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
18	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Sulakhan Singh	9780432277	Nb.north2@bankofindia.co.in
19	Central Bank of India	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zm.luck20@centralbank.co.in
20				Chief Manager	Shri Anil Kumar	9918002151	rdluckzo@centralbank.co.in
21	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri K P Singh	8173000104	kpsingh159@pnb.co.in
22				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
23	Canara Bank	Gen. Manager/ State Head	No	General Manager	Shri Pramod Kumar	9936406606	kumarpramod@canarabank.com
24				Manager	Shri Santosh Verma	9451865080	santoshverma@canarabank.com
25	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Sanjay Lade	7233002101	zolucknow@indianbank.co.in
26				Senior Manager	Shri Jalendra Singh	7233002107	jalendra.singh@indianbank.co.in
27	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Suresh Bantolia	9721459111	sbantolia@denabank.co.in
28				Manager	Shri S Chaurasia	9721459202	rdd.lucknow@denabank.co.in
29	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Rajiv Rawat	9839066415	zm.lucknow@psb.co.in
30				Senior Manager	Shri Ganga Sagar	9918727606	zo.lucknow@psb.co.in
31	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Nagaraja Udupa	9984756222	udupa-nagaraja@corpbank.co.in
32	Andhra Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Manager	Shri Anil Kumar	9693453044	zoluck@andhrabank.co.in
33	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	No	Senior Regional Manager	Shri S K Sinha	9839010168	lucknowrm@iobnet.co.in
34				Shri Samir Tiwari	Senior Manager	9450365872	adv@luck.iobnet.in
35	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Chief Manager	Shri Pankaj Mishra	9452404444	cmo_bb_ecup@obc.co.in
36	United Bank of India	Chief Regional Manager	No	Chief Manager	Shri Pawan Kumar	9831720610	crmlko@unitedbank.co.in
37	UCO Bank	Zonal Head	No	Asstt. General Manager	Shri R M Jodawat	9500196655	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
38				Manager	Shri Chinmay Dixit	9936772149	co.lucknow@ucobank.co.in
39	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri S S Yadav	8004007766	rolucknowcm@vijayabank.co.in
40				Senior Manager	Shri Kaushal Kumar Singh	7572024243	creditplucknow@vijayabank.co.in
41	Bank of Maharashtra	State Head	No	Chief Manager	Shri S K Trivedi	7054811249	pln_luc@mahabank.co.in
42	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. General Manager	No	Nodal Officer	Shri Diwakar Dubey	7388888339	diwakardubey@sbbj.co.in
43	State Bank of Hyderabad, Lucknow	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Binod Kumar	9966390539	(lucknow)@sbhyd.lucknow.co.in
44	State Bank of Patiala	Dy. General Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri R S Chauhan	7408603444	dgmllko@sbp.co.in
45	State Bank of Mysore	Dy. General Manager	No	No Participation			
46	State Bank of Travancore, Lucknow	State Head	No	No Participation			

47	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D P Gupta	7704809183	bugb@barodaup.com
48	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M N Patel	8127769700	chairman.augb@gmail.com
49	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri J S Ravi Kumar	7388800777	chairman.gba@gba-rrb.com
50				General Manager	Shri G K Srivastav	7388954557	gm1@gba-rrb.com
51				Senior Manager	Shri R P Kushwaha	7388899665	ho.advances@gba-rrb.com
52	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	msarora@prathmabank.org
53	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	7571810001	chairmanpgb@gmail.com
54	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri D K Yadav	8171989444	dkyadav@pnb.co.in
55	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	chairman.kgsg@kgsgbank.co.in
56	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Chief General Manager	Shri Ashok Dubey	9415164014	
57	UPSGVB	Managing Director	No	Asstt. Gen. Manager	Shri A K Pandey	7408407442	anil66pandey@gmail.com
58	Axis Bank	Circle Head	No	Vice President	Shri Tuhin Sarkar	9919099225	suhin.sarkar@axisbank.com
59				Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
60	Bhartiya Mahila Bank	State Head	No	No Participation			
61	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Dy. V.P. & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hdfcban.com
62	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asstt. Vice President	Shri Amar Singh	7055101598	mahanagar@nainitalbank.co.in
63	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Ms. Parul Singh	9999508883	parul.singh@idbi.co.in
64	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	No	State SLBC Head	Shri Aftab A Khan	8756888141	aftab.alam@icicibank.com
65				Nodal Officer	Shri Anupam Kr. Pande	8953303236	anupam.pande@icicibank.com
66	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri S K Saurabh	9839222575	lucknow@ktkbank.com
67	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	AVP-I	Shri Ramendra Singh	9161773322	ramendra.pratap@indusindbank.co.in
68	Federal Bank	State Head	NO	Chief Manager	Shri Priyan K R.	8129103915	lkw@federalbank.co.in
69				Asstt. Manager	Ms. Neha Kemalramani	7311113116	lkw@federalbank.co.in
70	Kotak Mahindra Bank	State Head	No	Asstt. Vice President	Shri Kashif Khan	9838078384	kasifjamal.khan@kotak.co.in
71	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	No Participation			
72	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	Yes	No Participation			
73	Govt. of U.P.	Principal Secretary, Institutional Finance	Yes	Principal Secretary, Institutional Finance	Shri Anoop Chand Pandey, IAS		
74	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9870508754	arupkumar@sidbi.in
75				Asstt. Gen. Manager	Shri R Sukumar	9454909827	rsukumar@sidbi.in
76	Revenue Deptt., GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	No Participation			
77	Deptt. of Handlooms & Textiles and MSME, GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	No Participation			
78	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No		Shri S K Agarwal	8573002208	ipksuda@gmail.com
79				Senior Manager	Shri O K Singh	9412270501	pmusuda@
80	SSI & Export Promotion	Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Akhilesh Kumar Ojha, IAS	9415214239	akhileshojha58@gmail.com
81	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	O.S.D.	Shri Sant Kumar	9451772762	
82	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Director	Shri Yogesh Kumar	9415472626	diup123@radifmail.com
83				Asstt. Director	Shri Jagadish Sahu	9453127545	jsahumsme@gmail.com
84	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri Zeeshan Rizvi	9415036983	
85	UPSRLM	Mission Director	No	Asstt. Commissioner	Ms. Vandana Singh	9532096020	vks122518@gmail.com
86				State Project Manager	Shri Om Prakash	8176880399	upsrlm.pmmf@gmail.com
87	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	No	Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102881	
88				Research Officer	Dr. Raghuvendra	9415654000	
89	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	Dy. G.M.	Shri V K Tiwari	0522-2335347	monitor.h.v.upstate@gmail.com
90	Directorate of Agriculture	Director	No	Addl. Director Agriculture (P	Shri Mohd. Arif Siddqui	9235629312	pctma@gmail.com
91				Vishay Vastu Vishshaygay	Dr. C. P. Srivastava	9235629346	srivastavacp333@gmail.com
92				Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristat@gmail.com
93	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	No	Dy. Director	Shri V P Gupta	9415059359	kvic.lko2011@gmail.com
94				Asstt. Director-II	Shri Ashutosh Kr. Singh	9415463417	
95	National Horticulture Board	Director	No	Sr. Horticulture Officer	Shri A K Sharma	0522-2202420	nhblko@rediffmail.com

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 अंचल का. ZONAL OFF. (E.UP ZONE) LKO.

96	National Commission for SCs, GoI	Director	No	No Participation			
97	UP Minotiry Finance Dev. Corpn.	Managing Director	No	No Participation			
98	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	7408410716	ceoupkvib@gmail.com
99	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	Executive Credit	Shri Anil Singh Chandel	9450095722	credit.upbsn@gmail.com
100	Police Headquarter	Director General	No	SP (Law & Order)	Shri J K Shukla	9454400202	
101	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	No	No Participation			
102	Udyog Bandhu	Executive Director	No	No Participation			
103	HUDCO	Dy. Gen. Manager	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri R K Srivastava	9450932215	rajeshkr66@gmail.com
104				Asstt. Gen. Manager	Shri M K Pandey	9453006589	hudcolucknow@gmail.com
105	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri M. Minhajuddin	9450390877	mcspc.minhajuddin@gmail.com
106	LIC of India	Regional Manager	No	Branch Manager	Shri Sudhir Kumar Tripathi	9450225319	sk.tripathi1@licindia.com
107	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Asstt. Manager	Shri Nagendra Kumar	7376506976	nagendra.kumar@orientalinsurance.co.in
108				Dy. Manager	Shri Ram Kishore	9415760701	ram.kishore@orientalinsurance.co.in
109	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No	Manager	Shri Ashok Kumar Singh	7704900108	ashokk.singh@nic.co.in
110	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	No	GM	Ms. Anupama Thakur	9838002895	anupamat@aicofindia.com
111	United India Insurance Co.	Regional Manager	No	Assistant	Shri Prem Shankar Mishra	9198396298	
112	Planning Department	Principal Secretary	No	Joint Director	Shri Yad Ram	9454468885	
	Special Invitee						
113	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	No Participation			
114	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Dy. Director	Shri S K Pandey	8005499585	sunil.pandey@uidai.net.in
115				Anubhag Adhikari	Shri Rajeev Srivastava	8005494256	srivastavarajeev8@gmail.com
116	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Joint Secretary	Shri D S Singh	9454412242	
117				Dy. Director	Dr. G C Pandey	9415580155	girish.pandey1960@gmail.com
118				Dy. Director	Dr. Adesh Chandra	9335904732	adesh2468@gmail.com
119	BSNL			Add. Director	Shri A K Srivastava	9415122200	termbankissues@gmail.com
120	Bank of Baroda			Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
121				Dy. Gen. Manager(LR)	Shri Pradeep Srivastava		
122				Asstt.Gen. Manager(SLBC)	Shri Rajeev Srivastava	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
123				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
124				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483	
125				Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
126				Manager	Shri M N Srivastava	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com
127				Manager	Shri Raj Kumar Jaiswal	0522-6677694	fi.upu@bankofbaroda.com
128				Officer	Shri Ayush	0522-6677725	cfip.upu@bankofbaroda.com
129				SWO-A	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
130				SWO-A	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
131				SWO-A	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	